सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 132/2016

बउनवान

1. सीताराम पुत्र श्री रामकल्याण आयु 42 वर्ष
2. भूली बाई पत्नि श्री रामकल्याण आयु 80 वर्ष जातिगण ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बडौरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1. विकास पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 28 वर्ष
2. निकास पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 26 वर्ष जातिग्रण ब्राह्मण निवासीगण मं0 नं0 87 सेक्टर नं0 07 व्यायामशाला के पास केशवपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1112 दि. 25.01.2016 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– श्री विरेन्द्र गौत्तम अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 12.07.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1112 दिनांक 25.01.2016 वाके ग्राम बडौरा से अप्रसन्न होकर विरूद्व अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 18.03.2016 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के पत्रांक/भू0अ0/2016/1608 दिनांक 06.04.2016 के साथ मूल इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत बड़ौरा द्वारा उक्त नामान्तरण को विवादग्रस्त मानकर तहसीलदार अटरू को भिजवाया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 03 तहसीलदार अटरू के द्वारा अपीलान्ट को सूचना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर बिना किसी जांच पड़ताल के नामान्तरण संख्या 1112 रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 के हक में स्वीकार कर तस्दीक करने में विधि की भारी भूल की है।

रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 की माता पार्वती बाई पुत्री श्री कजोड़ जाति भाट निवासी बरखेडा तहसील सांगोद ने अपने विवाहित पति का परित्याग कर अपीलांट क्रम 01 के भाई क्रम 02 के पुत्र ओमप्रकाश के पास रखैल के रूप में रहकर अपने दोनों किशोर पुत्रों का पालन पोषण किया। ओमप्रकाश की मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 की माता पार्वती बाई ने रामकल्याण के जीवनकाल में तहसील अटरू से अपना 1/4 हिस्से का आदेश दिनांक 24.12.1198 को करवा लिया था। जिसे अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

बारां ने अपने अपीलीय निर्णय दिनांक 24.09.1999 से पत्रावली तहसीलदार अटरू को प्रतिपेषित की, तहसीलदार अटरू ने पुनः सुनवायी उपरान्त निर्णय दिनांक 30.09.2000 से आदेश दिनांक 24.12.1998 को निरस्त किया।

रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 की माता पार्वती बाई द्वारा की गयी अपील संख्या 60/2001 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां ने दिनांक 07.05.2002 को अदम हाजरी में खारिज की। मृतक ओमप्रकाश ग्राम बडौरा का निवासी है, ग्राम पंचायज बडौरा ने खातेदार मृतम रामल्याण के वारिसान को प्रमाण पत्र दिनाक 15.05.2015 को जारी किया जिसमें मृतम रामकल्याण के जीवित वारिसान अपीलान्ट सीताराम व भूली बाई व ओमप्रकाश को अविवाहित फौत होना बताया है। इस कारण हल्का पटवारी रामचन्द्रपुरा द्वारा मृतक ओमप्रकाश के सजरे में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 को दर्शाया गया है वह स्वमेव मिथ्या प्रमाणित है।

ओमप्रकाश अविवाहित फौत हुआ है। मृतक ओमप्रकाश ब्राह्मण व दीगर जाति की पार्वती भाट व रेस्पोडेन्टगण किस प्रकार से मृतक ओमप्रकाश के वारिसान है, यह गहन विचारण का विषय है। उक्त तथ्य को अनदेखा कर बिना जांच किये उक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट क्रम 03 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 के पक्ष में तस्दीक करने में विधि की भारी भूल की है। तहसीलदार अटरू द्वारा मृतक रामकल्याण की आराजी के 1/3 हिस्से को रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या 1112 दिनांक 25.01.2016 ग्राम बडौरा अवैध, मनमाना एवं प्रमाणहीन, हिन्दू उत्तराधिकार विधि के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में रूलिंग Jinia Keotin V/s Kumar Sitarama Manjhi सुप्रिम कोर्ट ऑफ इण्डिया सिविल अपील नं0 7247 सन् 1995 एवं 2011 सी.डी.आर. 36 (एस.सी.) सिविल अपील नं0 7108 सन् 2003 एवं 2008 (2) आर0आर0टी0 1418 अपील नं0 1400/कोटा सन् 2003 प्रस्तुत की गई।

अतः अपील अलीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 के पक्ष में खोला गया नामांतरण संख्या 1112 दिनांक 25.01.2016 ग्राम बडौरा तहसील अटरू निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि तहसीलदार अटरू द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे तस्दीक किया गया इन्तकाल नम्बर 1112 दिनांक 25.01.2016 वाके ग्राम बडौरा तहसील अटरू नियमानुसार विधी अनुरूप तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त इंतकाल निरस्त करवाने हेतु एक फर्जी वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 15.05.2015 ग्राम पंचायत बडोरा का पेश किया गया है, जिसमें रेस्पोडेन्टगण के पिता को अविवाहित फोत होना अंकित किया है। जबकि रेस्पोडेन्ट कि पिता विवाहित थे। जिनके तीन संतान रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 तथा एक बहिन रश्मि है। उक्त प्रमाण पत्र के बारे में रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत बडौरा के सचिव एवं संरपच से जाकर मिला तो उन्होनें उक्त वारिसान प्रमाण पत्र अपने द्वारा जारी करना ननी बताया और उक्त प्रमाण पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर भी जाली होना बताया। इस पर लगी मोहर भी जाली है। इस प्रकार अपीलांट ने इन्तकाल नं0 1112 दिनांक 25.01.2016 को निरस्त करवाने के लिए फर्जी एवं कूटरचित वारिसान प्रमाण पत्र बनाकर अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ लेने का प्रयास किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कोतवाली थाने में आई.पी.सी. धारा 420, 467, 468 एवं 471 के तहत एफ.आई.आर. भी दर्ज करा दी है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष के अभिभाषकारान की सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1112 दिनांक 25.01.2016 वाके ग्राम बडौरा तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रूलिंग इस प्रकरण में चस्पा नही होती। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 विकास पुत्र ओमप्रकाश उम्र 28 वर्ष एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 02 निवास पुत्र ओमप्रकाश उम्र 26 वर्ष मृतक ओमप्रकाश के जायिज पुत्र होना प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा खोले गये इंतकाल में हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1112 दिनांक 25.01.2016 वाके ग्राम बडौरा तहसील अटरू जिला बारॉ यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को हमारे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ